

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू
खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुन्झुनू
बनाम


1. श्री मुरारी लाल पुत्र हरिराम मितल, मालिक विक्रेता एफबीओ मैसर्स ममता ट्रेडिंग कम्पनी,
सुरजगढ मण्डी, निवासी वार्ड नम्बर 04, सुरजगढ, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006

मुकदमा नम्बर 5 / 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
23-12-2021	<p>यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं सपटित नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.01.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू</p>	
18/1/22	<p>पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप-डिप्टी कमिश्नर ने उपस्थित होकर पत्रावली पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में लक्ष्य श्री गुरु पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 14.02.2022 को पेश हो</p>	
14-2-2022	<p>पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी व अमावेदक क्वेरी उपस्थित। वेपार कार्य में व्यस्त होने के कारण निर्णय नहीं लिखा जा सकता। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17-2-2022 को पेश हो</p>	



तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17.02.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। आवेदक एवं अनावेदक उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II)(V) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।</p> <p>अनावेदक संख्या 1 का कथन है कि अनावेदक के परिसर में जो खुली हल्दी मिली थी वह मात्र उसके स्वयं के घर पर उपयोग हेतु रखी हुई थी, अतः अनावेदक संख्या 1 को धारा 26 (2)(II)(V) का दोषी नहीं माना जाये।</p> <p>हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं० एल.एस./1038/एक्ट/2021/1021/ दिनांक 07.09.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (खुला) विक्रय होना पाया गया है। जो एफ.एस.एस. एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) (V) के उल्लंघन में आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक को धारा 26 की उपधारा (2) (अ) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक श्री मुरारीलाल पुत्र हरिराम मिततल, मै० ममता ट्रेडिंग कम्पनी, सूरजगढ मण्डी निवासी वार्ड नम्बर 4, संतोषी माता मन्दिर के पास, सूरजगढ झुंझुनू को 2,000/- दो हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू</p>	